राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 1/2017
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2017/00002
दायर दिनांक– 19.1.2017
निर्णय दिनांक– 09.02.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

1. रामेश्वर पुत्र सोनी
2. पन्ना पुत्र रामा
   सर्वजाति जाट, निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

———वादीगण

बनाम

1. चेनाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी ग्राम निटूटी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

———प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– श्री अरविन्द दाधीच अधि0 वादी
श्री शांतिलाल ढेल अधि0 प्रतिवादी

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम निटूटी पटवार हल्का निटूटी तहसील रुपनगढ के ख0न0 475 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा अवस्थित है। जिसमें राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निहित है एवं उक्त भूमि पर हिस्सेअनुसार काबिज काश्त है। वाद अधीन भूमि का मौके पर बंटवारा नही हो रखा है, इसलिए आये दिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वाद–विवाद, लड़ाई–झगड़ा होता रहता है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के भू–भाग में काश्त नहीं करने की धमकी देते है। इसलिए भूमि का मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वकील वादीगण की ओर से निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का मय नींव, सींव अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का विभाजन किये जाकर अलग खाता, खसरा कायम किये जाने के आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण की ओर शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी पेश किये गये, जिस पर वादीगण के बयान दर्ज किये गये। प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई। तत्पश्चात पत्रावली राजस्व अपील प्राधीकारी महोदय, अजमेर में अपील होने के कारण प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर निर्णय करने हेतु लिखा गया। उभयपक्षकारान को उपस्थित होने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 पेश कर मूल दावे में गेनुड़ी व भैरू का नाम समायोजित करने हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। सारहीन होने से उक्त प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया। दिनांक 15.12.2023 को उभयपक्ष ने स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं मौके अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु समहति जाहिर की। तत्पश्चात तहसीलदार रूपनगढ़ से पुनः कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई। कमिश्नरी रिपोर्ट पर उभयपक्ष वकील को सुना गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी :–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	चैनाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	475/1	1.0682	बा0 2
2	पन्ना पुत्र रामा हि0 1/2, रामेश्वर पुत्र सोनी हि0 1/2 जाति जाट सा0 रघुनाथपुरा खातेदार	475/2	2.3538	बा0 2

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

अभिलाषा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

अंतिम डिकी

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 1/2017

1. रामेश्वर पुत्र सोनी
2. पन्ना पुत्र रामा

सर्वजाति जाट, निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

———वादी

बनाम

1. चेनाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट निवासी ग्राम निटूटी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ, जिला–अजमेर, राजस्थान।

——प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू अभिलाषा, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य रिकार्ड में निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है–

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	चैनाराम पुत्र भैरूराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	475/1	1.0682	बा0 2
2	पन्ना पुत्र रामा हि0 1/2, रामेश्वर पुत्र सोनी हि0 1/2 जाति जाट सा0 रघुनाथपुरा खातेदार	475/2	2.3538	बा0 2

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 9.2.2024 को जारी की गई।

अभिलाषा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)